न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 105/2014 दायरा दिनांक : 24.06.2014

उनवान

1 शम्भू दयाल आत्मज मथुरालाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी शिवाजी कालोनी, बारां, तहसील बारां, जिला बारां

2 मनभर बाई पत्नी श्री शम्भू दयाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी शिवाजी कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 बृजमोहन आत्मज मथुरालाल जी जाति ब्राहमण, निवासी सीमलिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.06.2014 द्वारा न्यायालय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल जिससे वाद संख्या 26/प्रार्थना पत्र/2013 वास्ते दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज.टी.ए. तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 राज. टी.ए. आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 27.02.2023**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

1. दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज.टी.ए. तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 राज.टी.ए. पेश किया। प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 मृतक मथुरालाल की संताने हैं, जो अपने पिता मथुरालाल की अचल सम्पत्ति पर बराबर अधिकार रखते हैं। चूंकि मृतक मथुरालाल के पास समस्त चल अचल सम्पत्ति स्वयं की खरीदशुदा नहीं है। पुश्तैनी और पैतृक है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं.1 सहखातेदार हैं।

2. मृतक मथुरालाल के जीवनकाल में ही पुरूषोत्तम व सुशीला अपना हिस्सा जर्ये मथुरालाल प्रतिफल बेचान कर चुके हैं।

3. मृतक मथुरालाल के वाके माल सीमल्या में खाता संख्या 70 पर खसरा नम्बर 30 रकबा 2.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.39 हेक्टर, कुल किता 5 कुल रकबा 4.72 हेक्टर मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2051– 2054 में दर्ज रेकार्ड खाते थी।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4. मृतक मथुरा लाल ने स्वयं पुत्र पुरूषोत्तम, सुशीला के हिस्से की सम्पत्ति से उनका हिस्सा पूर्व में दिनांक 05.02.2002 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान की जा चुकी है। जो 4.72 हेक्टर में 2.00 हेक्टर का विक्रय इकरार बहक बद्रीलाल पुत्र माधोलाल से प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया है। जिसमें पुरूषोत्तम तथा पुत्री सुशीला ने सहमति दे प्रतिफल प्राप्त कर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

5. शेष रकबा 2.72 हेक्टर में से 1.93 हेक्टर को अप्रार्थी नं. 2 को जर्ये दान पत्र जर्ये रजिस्टर्ड अप्रार्थी नं. 1 द्वारा गत दिनों दी जा चुकी है। जिसका इंतकाल नं. 299 दिनांक 25.07.2010 को दर्ज कर दिया गया है।

6. मृतक मथुरा लाल द्वारा जर्ये पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 11.07.2002 को एक सौ रू0 के स्टाम्प व एक सादा हरे कागज पर उचित समझौते अनुसार 2.88 हेक्टर में बृजमोहन प्रार्थी व शम्भूदयाल अप्रार्थी नं. 1 के बराबर बराबर दे रखी है जो मुताबिक कब्जा व दखल काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर की 1.44 हेक्टर पर काबिज है।

7. मुताबिक दान पत्र दिनांक 15.06.2004 खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.39 हेक्टर कुल 1.93 हेक्टर को अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम करके मृतक मथुरालाल ने विवाद खड़ा कर दिया है। चूंकि प्रार्थी खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर में काबिज काश्त है। जिसको अप्रार्थी नम्बर 1 उक्त दान पत्र की आड में कब्जा करने की नीयत रखता है तथा प्रार्थी के गत 20 वर्षों से कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की मंशा से अप्रार्थी नं. 3 ने पारिवारिक समझौता पत्र बावजूद उक्त दान पत्र में खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर अप्रार्थी नं. 1 की कब्जा व दखल नहीं है। प्रार्थी मुताबिक पारिवारिक समझौते पत्र 1.54 हेक्टर के 1.36 हेक्टर पर काबिज काश्त है।

8. मृतक मथुरालाल द्वारा खुद कुछ आराजी के बाद मात्र प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी से उक्त दान पत्र के नाम प्रार्थी को उनके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है।

9. अप्रार्थीगण यदि अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को कब्जे काश्त व कानूनी अधिकार व हक से वंचित होकर वाद विवाद में उलझना पड़ेगा।

10. प्रार्थी के पास कोई विकल्प शेष नहीं है कि माननीय न्यायालय में न्याय प्राप्त कर अप्रार्थीगण को कब्जा दखल में मदाखलत न करने के लिए पाबन्द करवाकर दान पत्र को खारिज न्याय विरूद्ध घोषित करवाकर अपने हक की कब्जा शुदा आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाये तथा पैतृक सम्पत्ति से किये गये रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर खोले गये इन्तकाल नं. 299 दिनांक 25.07.2010 को अवैध व शून्य घोषित कराये।

11. मुताबिक हिन्दू लॉ पैतृक सम्पत्ति का दान नहीं किया जा सकता, यदि उत्तराधिकारी जीवित हैं। प्रार्थी मुताबिक पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 11.07.2002 प्रार्थी खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर के हिस्से 1.44 हेक्टर पर सअधिकार काबिज काश्त है।

12. मृतक मथुरालाल को इस प्रकार प्रार्थी को हक अधिकार से वंचित करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि सम्पत्ति पैतृक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

है जिस पर प्रार्थी का भी उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि अप्रार्थी नम्बर 2 को तथा अप्रार्थीगण को उक्त दान पत्र के आधारों पर चूंकि अपनी सम्पत्ति में वे दान करने का अधिकार नहीं है। इस कारण मथुरा लाल द्वारा अप्रार्थी नम्बर 2 के पक्ष में किया गया दान पत्र शून्य व अवैध माना जावे।

13. प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के बराबर हक अधिकार रखता है तथा काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर मुताबिक पारिवारिक बंटवारा प्रार्थी के कब्जे में है जिसको अप्रार्थी नं. 1 व 2 जर्ये दान पत्र हड़पने की नीयत रखते हैं तथा दान पत्र दिनांक 15.06.2004 को स्वयं के खाते दर्ज करवाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो प्रार्थी का परिवार अपने हक अधिकार से वंचित होकर सड़क पर आ जाएगा।

14. प्रार्थी खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर के रकबे 1.44 हेक्टर को हंकाई–जुताई कर फसल बो चुका है, जिसको कि षढयंत्र पूर्वक किये गये दान पत्र की आड में हांकने में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को असीमित नुकसान उठाना पड़ेगा।

15. अपूर्णीय क्षति तुलनात्मक रूप से प्रार्थी को अप्रार्थीगण से ज्यादा होगी चूंकि अप्रार्थीगण अपना हक बेचान कर चुके हैं, शेष अप्रार्थीगण, प्रार्थी को अपने हक से वंचित कर उसके कब्जे काश्त की आराजी को हड़पने पर आमादा है, अगर अप्रार्थीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी का शेष जीवन वाद विवाद में खत्म हो जायेगा।

16. अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 191 की रकबा 1.44 हेक्टर पर दखल अन्दाजी न करें तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

17.अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

18.अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 मृतक मथुरालाल की सन्ताने हैं जो अपने पिता मथुरालाल की अचल सम्पत्ति पर बराबर अधिकार रखते हैं। उक्त सम्पत्ति पैतृक है।

19.मृतक मथुरालाल के नाम सीमल्या में खसरा नम्बर 30 रकबा 2.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.39 हेक्टर जमाबंदी संवत 2051 से 2054 के खाते दर्ज थी। मृतक मथुरा लाल ने स्वयं पुत्र पुरूषोत्तम, सुशीला के हिस्से की सम्पत्ति से उनका हिस्सा पूर्व में दिनांक 05.02.2002 को बेचान की जा चुकी है। शेष 2.72 हेक्टर में से 1.93 हेक्टर को अप्रार्थी नं. 2 को जर्ये दानपत्र रजिस्टर्ड अप्रार्थी नं. 1 द्वारा दी जा चुकी है। उक्त दान पत्र में खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर पर अप्रार्थी नं. 1 का कही कब्जा व दखल नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

20.प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन तलबी की गई। बावजूद तामील में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

21. बहस के दौरान अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ता फैसला निषेधाज्ञा जारी करने का कथन किया।

22. बहस सुनकर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सीमल्या में खसरा नम्बर 191 रकबा 1.54 हेक्टर में से रकबा 1.44 हेक्टर का बेचान ता फैसला वाद नहीं करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है।

23. इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

24. अधीनस्थ न्यायालय का एक तरफा आदेश दिनांक 04.06.2014 कानून, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

25. अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार फरमाकर प्रतिवादीगण अपीलांट्स को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है।

26. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी रेस्पोडेंट व प्रतिवादी अपीलांट नम्बर 1 दोनों सगे भ्राता है और विवादित भूमि उनके पिता मथुरालाल के खाते की भूमि है तथा वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 को यह पूर्ण जानकारी थी कि अपीलांट्स प्रतिवादीगण बारां में निवास करते हैं, किन्तु वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने प्रतिवादीगण अपीलांट्स का पता जानबूझकर गलत रूप से ग्राम

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सीमल्या, तहसील मांगरोल का लिख कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश कर दिया और गलत रूप से वादी ने तामील कुनिन्दा से मिली भगत कर सम्मन पर यह रिपोर्ट अंकित करवायी कि शम्भू दयाल व मनभर अपने परिवार के साथ बाहर गांव जाने के कारण उसके मकान पर एक प्रति चस्पा की गई।

27. उक्त रिपोर्ट पर कोई तारीख अंकित नहीं की गयी है एवं तथाकथित गवाहान का भी मुकम्मिल विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रेषित नोटिस व सम्मन की अपीलांट्स पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गैर कानूनी रूप से अपीलांट्स पर सम्मन की तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

28. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

29. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 191 की 1.54 हेक्टर भूमि अपीलांटा नं. 2 के खाते दर्ज चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर अपीलांटान का ही बहेसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर अथवा उसके किसी भाग पर कभी भी वादी रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और न कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार करने में त्रुटि की है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30. वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 उपरोक्त आराजियात पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्त जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

31. अपीलांट नं. 1 व रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पिता अपीलांटान के पास ही बारां में निवास करते थे तथा वर्ष 1988 से अपीलांटान ही उक्त विवादित भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलांट नं. 1 व रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पिता मथुरालाल का देहावसान बारां में हुआ और समस्त क्रियाकर्म आदि कार्य अपीलांट नं. 1 ने ही किये तथा मथुरालाल ने अपने जीवनकाल में व उनकी मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है व अपीलांट नं. 2 के नाम खाते दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अथवा उसके किसी भाग पर वादी प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और न कब्जा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

32. रेस्पोडेंट नम्बर 1 पिछले 40 वर्ष साल से अलग निवास करता है और उसने अपने पिता मथुरा लाल से उसके हिस्से की भूमि को बेचान करवा कर उसकी प्रतिफल की राशि स्वयं रेस्पोडेंट नम्बर 1 के प्राप्त की है और विवादित भूमि में अब रेस्पोडेंट का कोई हक व हिस्सा व स्वत्व नहीं रहा है और न किसी प्रकार का कब्जा है। इस कारण प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 को दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एक खातेदार के विरूद्ध स्वीकार करने में त्रुटि की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

33. विवादित भूमि खसरा नम्बर 191 की 1.54 हेक्टर वर्तमान में अपीलांट नम्बर 2 की खातेदारी में दर्ज है जो उसे मथुरालाल द्वारा दान किया गया जिसका रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 15.06.2004 से उसके खाते दर्ज हुई है। इसकी जानकारी प्रार्थी रेस्पोडेंट को भली प्रकार से है तथा वह स्वयं प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित करके आया है इसके बावजूद भी अपीलांटान के विरूद्ध विवादित भूमि के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उक्त भूमि को रहन, बेचान करने से पाबन्द करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

34. विवादित भूमि पर अपीलांटान का कब्जा 1988 से चला आ रहा है तथा वर्तमान में विवादित खसरा नम्बर 191 की 1.54 हेक्टर भूमि अपीलांट नम्बर 2 के खाते दर्ज है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश सर्वथा अवैध त्रुटिपूर्ण मनमाना होने से निरस्त होने योग्य है।

35. मथुरालाल ने अपने जीवनकाल में अपीलांटान नं. 2 के पक्ष में खसरा नम्बर 191 की 1.54 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 605 रकबा 0.39 हेक्टर भूमि दान कर रजिस्टर्ड दान पत्र से दान कर दी तथा अपीलांट नं. 2 ने दान में दी गई भूमि को दान में प्राप्त कब्जा प्राप्त कर लिया, इसकी जानकारी प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 को पूर्ण रूप से है। यदि प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 उक्त दस्तावेज से प्रभावित है तो उसके लिये अलग से कार्यवाही सिविल न्यायालय में करना चाहिए था, जो उसने नहीं की है और गलत पता अंकित करा कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश कर गलत रूप से एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया है, जो अपास्त होने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

36.विवादित भूमि का न तो प्रार्थी खातेदार है और न कब्जेदार है तथा तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होते हुए भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

37.अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एक तरफा तौर पर पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांटान को अपने खेत पर जाने पर दिनांक 08.06.2014 को प्रार्थी रेस्पोडेंट ने उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करने की कहने व उसके खिलाफ स्टे होने बाबत कहने पर हुई इस पर दिनांक 09.06.2014 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जाकर मालूमात की व पत्रावली की सम्पूर्ण नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त हो गयी और अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

38.अपीलांट द्वारा हुक्त जैर अपील के विरूद्ध पूर्व में सम्मानीय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

39.अतः अपील पेश का प्रार्थना है कि अपील अपीलांटान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.06.2014 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेंट नम्बर 1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाया जावे।

40.अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

41. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में नजीरे पेश की :–

1– आर. आर. डी. 1997 पेज 30

2– आर. आर. टी. 2018–19 (सप्ली.) पेज 20

42. हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

43. अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा वर्तमान में जैरकार है। अतः उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के द्वारा किये गये धारा 212 आर.टी.एक्ट के निर्णय दिनांक 04.06.2014 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

44. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2014 यथावत रखा जाता है ।

45. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

46. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा